राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
W-6, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.) फैक्स न0 2632329
Visit us: www.livelihoods.rajasthan.gov.in e-mail : dte.cts.raj@gmail.com

क्रमांक :प.स.7(11)/प्र–1/1445/2019 /10038 दिनांक :– 04.01.2019

1. **संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण,**
   प्राविधिक शिक्षा, जयपुर।
2. **उप निदेशक, प्रशिक्षण,**
   क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा,
   अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।

विषयः– राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी **दिनांक 12 जनवरी, 2019 से 18 जनवरी 2019** तक **"राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी"** आयोजित की जावे।

प्रदर्शनी के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों एवं व्यवसाय विशेष में कौशल गुणवत्ता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि इस प्रदर्शनी का आयोजन राज्य में समस्त राजकीय एवं निजी संस्थानों/केन्द्रों में निश्चित रूप से किया जावे। प्रदर्शनी में संस्थान की क्षैत्रीय परिधि में आने वाले समस्त स्कूलों के 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र–छात्राओं एवं अध्यापकगणों तथा जनप्रतिनिधियों व माननीय सांसद/विधायकगण को भी प्रदर्शनी का अवलोकन हेतु आमंत्रित किया जावें। प्रदर्शनी आयोजन के उद्घाटन एव समापन समारोह को जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में सम्पन्न करावें।

जिला स्तरीय संस्थान का यह दायित्व होगा कि उनके जिले हेतु चयनित ब्राण्ड एम्बेसेडर से सम्पर्क कर, उनके द्वारा जिले की अधिकाधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रदर्शनी के दौरान प्रशिक्षणार्थियों एवं स्कूल छात्रों को कौशल महत्ता के संबंध में उद्बोधन कराया जावें, ताकि स्कूल छात्र/छात्रओं का कौशल प्रशिक्षण में रूझान बढें इस हेतु ब्राण्ड एम्बेसेडर को ससम्मान आमंत्रित किया जावें।

प्रदर्शनी आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश का अवलोकन करावें। (प्रति संलग्न)

प्रदर्शनी में आने वाले आठवीं/दसवी कक्षा उत्तीर्ण छात्रो को **समकक्षता** की जानकारी प्रदान की जावें।

प्रदर्शनी में शिक्षुता प्रशिक्षण/National Apprenticeship Promotion Scheme से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जावें। शिक्षुओं के पंजीकरण की ऑनलाईन प्रकिया को Display करते हुए प्रदर्शनी में आने वाली युवाओं को Portal पर पंजीकृत कराये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी जावें।

युवा सप्ताह के दौरान WORKERS कांफ्रेन्स का आयोजन भी कराया जावे, जिसमें तकनीकी दक्षता प्राप्त योग्यताधारी जिसमें स्वंय को प्रतिष्ठित कर व्यवसाय प्रारम्भ किया हो, उद्योग लगाया है या अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित है, के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहन दिलवाया जावें। युवा सप्ताह के दौरान आई.टी.आई. उत्तीर्ण अथवा प्रशिक्षणरत छात्रों को प्रदर्शनी परिसर में एक स्टॉल आरक्षित की जावे, जिसमें छात्रों द्वारा स्वंय सामग्री से निर्मित किये गये जॉब/सिले हुए वस्त्र एवं घरेलू काम में आने वाले बिक्री योग्य सामान का प्रदर्शनी के साथ–साथ बिक्री भी की जा सके।

प्रदर्शनी आयोजन के पश्चात् संभाग की समस्त संकलित सूचना गत वर्ष की भांति संलग्न प्रारूप में निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित् करावें एवं संबंधित संस्थानों को आप अपने स्तर पर सूचित करवाने का श्रम करावे।

संलग्न :– 1. दिशा निर्देश 2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र–अ व ब

भवदीय,

निदेशक, प्रशिक्षण

क्रमांक :प.स.7(11)/प्र–1/1445/2014–15/ स्थम दिनांक :– 04.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आचार्य/अधीक्षक, समस्त राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को वास्ते पालनार्थ।

उप निदेशक, प्रशिक्षण

व्यावसायिक कौशल एवं दक्षता (जागरूकता) प्रदर्शनी के आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश

राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदर्शनी के आयोजन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय/संस्थान प्रधान/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जावें।

1. समस्त राजकीय संस्थान प्रधान विशेष रूप से यह ध्यान रखेगें कि उक्त प्रदर्शनी का आयोजन मितव्ययता बरतते हुए सम्पादित करेगें। प्रदर्शन योग्य सामग्री की व्यवस्था हेतु राजकीय संस्थान प्रधान "संस्थान विकास कोष" में प्रावधानुसार व्यय करने के लिए अधिकृत होगें। इस संबंध में प्रशिक्षणार्थियों एवं संबंधित व्यवसाय अनुदेशक द्वारा रूचिपूर्वक अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है तथा साथ ही व्यवसाय में जो भी चार्ट/वर्किंग–मॉडल/उत्पाद एवं टिचिंग–एड्स इत्यादि प्रदर्शनी में सम्मिलित की जावेगी उसकी गुणवत्ता कौशल पर विशेष ध्यान दिया जावें। इस प्रदर्शनी में अनावश्यक दिखावा करने के स्थान पर कार्यशाला आंगन पर प्रदशन व्याख्यान जो दर्शनार्थियों को प्रभावित कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी सुनिश्चित की जावें।
2. प्रत्येक व्यवसाय की कार्यशाला में संबंधित अनुदेशक द्वारा न्यूनतम चार प्रायोगिक अभ्यास, प्रदर्शन–व्याख्यान स्टेशन तैयार किये जावें जिसमें प्रशिक्षणार्थियों के ग्रुप बनाकर दर्शनार्थियों को लगभग 2 से 5 मिनट्स की लघु व्याख्यान पूर्व निर्धारित कर उसी के अनुरूप व्यवस्था की जानी वांछनीय है। ज्ञात रहे कि प्रत्येक प्रदर्शन दिवस के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दर्शकों का **प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे** तक लगातार सामग्री प्रदर्शन की पुख्ता व्यवस्था हो।
3. प्रदर्शनी के दौरान आगन्तुकों को किसी प्रकार की असुविधा नही हो, इसलिए सम्पूर्ण संस्थान परिसर स्वच्छ एवं साफ होना चाहिये और उनके लिए आवश्यक स्वच्छ पेयजल की व्यस्था की जावें।
4. प्रदर्शनी में आने वाले आठवीं/दसवी कक्षा उत्तीर्ण छात्रो को समकक्षता की जानकारी प्रदान की जावें।
5. कार्यशाला में प्रदर्शन आयोजित करते समय समस्त यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों संबंधी सुरक्षा/सावधानियों की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। ज्ञातव्य रहें कि व्यवसायिक प्रशिक्षण के परम आवश्यक **"सेफ्टी–फर्स्ट"** के नियम की अनुपालना की जानी अत्यन्त अनिवार्य है। प्रदर्शनी के दौरान पूर्व में निर्धारित उपर्युक्त संख्या में दर्शनार्थियों को क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाते हुए भ्रमण कराये जाने की सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिये इस संबंध में उपर्युक्त संख्या में बैच बनाकर प्रदर्शन व्यवस्था वांछनीय है।
6. प्रत्येक व्यवसाय की कार्यशाला में महत्वपूर्ण विशेष सामग्री जैसे हाथ–औजार, उपकरण, मशीन इत्यादि की पूर्ण विशिष्ठताओं (Specification) स्केच पेन की सहायता से ड्राईंग–शीट पर स्पष्ट लिखकर टेग बनाकर नामांकित किया जाकर कार्यशाला में डिसप्ले किया जाना अनिवार्य है तथा इसी प्रकार प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जो प्रायोगिक अभ्यास तैयार किये गये है, उनको भी पूर्णतया नामांकित कर डिसप्ले किया जाना सुनिश्चित करें।

7. प्रदर्शनी के दौरान कोई आगन्तुक/विशिष्ट–व्यक्ति/दर्शक/शिक्षाविद्/अध्यापकगण इत्यादि अपनी टिप्पणी अंकित करना चाहे तो उसके लिए व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी टिप्पणी पंजिका संधारण किया जावें।

8. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रदर्शनी के दौरान निर्माण की जाकर डिसप्ले की गई सामग्री विशेष जैसे प्रायोगिक अभ्यास का नाम, वर्किंग–उत्पाद, मॉडल, पोस्टर, टिचिंग एड्स इत्यादि का उल्लेख करते हुए निर्धारित सामग्री हेतु प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्रीय अधिकारी एवं संस्थान प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से प्रशंसा प्रमाण–पत्र संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया जावें। जिसकी सूचना निदेशालय को **दिनांक 30 जनवरी, 2019** तक प्रेषित की जावें।

9. समस्त स्थानीय शैक्षणिक स्कूलों के प्रधानों को प्रदर्शनी आयोजन की जाने वाली प्रदर्शनी के दिवसों में से किस दिन व किस समय उनकें छात्रों को भ्रमण किया जाना है, समय–सारिणी पूर्व निर्धारित करें।

10. समस्त संस्थान प्रधान प्रदर्शनी के सफल आयोजन के पश्चात् संलग्न **प्रपत्र "अ"** में वर्णित सूचना पूर्ण कर प्रदर्शनी सफलता के आंकलन संबंधित निष्कर्ष एवं यदि कोई उपयोगी सुझाव हो तो संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को **दिनांक 25 जनवरी, 2019** तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा **प्रपत्र "ब"** की सूचना **दिनांक 30 जनवरी, 2019** तक निदेशालय को भिजवाया जाना है।

11. प्रदर्शनी के सफल क्रियान्वयन हेतु संस्थान स्तर पर आयोजन समिति, प्रबन्धन समिति, मूल्यांकन समिति एवं सुरक्षा समिति का गठन किया जावें, जिसकी सूचना प्रदर्शनी आयोजन से पूर्व क्षेत्रीय अधिकारियों को **दिनांक 08 जनवरी, 2019** तक आवश्यक रूप से दी जावें।

12. प्रदर्शनी के उद्घाटन/समापन के प्रत्येक दिवस में मुख्य अतिथि के लिए विशिष्ठ व्यक्तियों को आमंत्रित किया जावें। जो जन–प्रतिनिधि/स्थानीय प्रशासन/ विशिष्ठ–व्यक्तियों से संबंधित हों।

13. प्रदर्शनी के सफल आयोजन हेतु संस्थान स्तर पर संस्थान परिसर एवं स्थानीय सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक बैनर एवं अन्य साधनों द्वारा प्रचार–प्रसार मितव्ययता बरतते हुए किये जाने की व्यवस्था की जावें। इस संबंध में स्थानीय टी.वी. चैनल्स एवं प्रिन्ट मिडिया प्रयोग जनहित में निःशुल्क किया जावें।

14. संस्थान भवन के प्रशासनिक भाग की कोरीडोर में, संस्थान में संचालित समस्त व्यवसाय से संबंधित तथा कार्यशाला के बाहर संस्थान में संचालित व्यवसायों में रोजगार/स्वरोजगार प्राप्ति की सम्भावनाओं तथा प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली व्यावसायिक तकनीकी दक्षता की समग्र जानकारी प्लाई–वुड के साईन बोर्ड पर एनमल्ड पेन्ट द्वारा तैयार कर स्थाई रूप से लगाई जावें।

15. संस्थान में प्रदर्शनी आयोजन की व्यवसायवार फोटोग्राफ (6"x4") प्रदर्शनी के समापन पश्चात् निष्कर्ष रिपोर्ट मय अपनी टिप्पणी/सुझाव क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

16. प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय नियोजन–विभाग/उद्योग–विभाग/बैंकिंग विभागों को संबंधित विभागों की स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने बाबत् आमंत्रित किया जावें एवं आमंत्रित विभागों को प्रदर्शनी के दौरान वित्तीय सहयोग संबंधी योजनाओं की जानकारी हेतु कार्यशाला आंगन पर व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

17. प्रदर्शनी के दौरान किसी भी स्टाफ को निदेशालय की पूर्व अनुमति बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जावें।

18. **जनवरी, 2019** में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से परम्परागत/गैर परम्परागत ऊर्जा के दोहन एवं परिवर्तित कर उपयोग में लेने संबंधी कार्यशील लघु संयंत्रों को प्रथम प्राथमिकता से सम्मिलित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं द्वितीय प्राथमिकता सूचना प्रोद्योगिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन को दिना जाना लक्ष्य में सम्मिलित है।

19. प्रदर्शनी के तीसरे दिन सभी संस्थानों में स्थानीय नामी कुशल कारीगर जो अपने कौशल से प्रसिद्धी प्राप्त कर चुके है, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी एवं लीड बैंक के अधिकारी से स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन प्रदान कराने हेतु व्याख्यान का आयोजन करवाया जावें।

20. संस्थान प्रधान स्वयं कम से कम चार स्थानीय स्कूलों में जाकर प्रदर्शनी के सन्दर्भ में स्कूल छात्रों को अवगत करावें। आंठवी कक्षा तथा दसवी कक्षा उत्तीर्ण छात्रो/छात्राओं को समकक्षता संबंधी जानकारी प्रदान की जावें।

21. जिन संस्थानों में सी.एन.सी. मशीन/सेमुलेटर एवं अन्य आधुनिक मशीनें तथा संयंत्र उपलब्ध है, उन्हें अनिवार्य रूप से कार्यशील स्थिति में प्रदर्शित किया जावें।

22. **नवाचारः**– व्यावसायिक कौशल एवं दक्षता सप्ताह में सभी राजकीय/प्राईवेट औ.प्र.संस्थानों में **"खेलकूद"** प्रतियोगिताएं आयोजित की जावें। इस हेतु संस्थान में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत ही बॉलीबाल, बेडमिंटन, केरम, दौड़ इत्यादि प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जावें।

प्रपत्र–" अ"

व्यवसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी

1. संस्थान का नाम :– ....
2. स्कूलवार/कक्षावार आयोजित व्यावसायिक प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या:– ....

क्र.सं.	स्कूल का नाम	कक्षावार सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या					कुल छात्रों की संख्या	अन्य अभिभावकों/अध्यापकों की संख्या	संस्थान प्रधान के प्रदर्शनी के आयोजन के संबंध में निष्कर्ष/सुझाव बिन्दुवार	युवा सप्ताह के दौरान कराई वर्क्स कान्फ्रेन्स की संख्या एवं आमंत्रित उद्यमी/एचीवर का नाम व पता	टिप्पणी
		8वीं	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	(कॉलम संख्या 3 से 7 तक की संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग:–											

हस्ताक्षर संस्थान प्रधान

:: राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी ::

प्रपत्र–" ब "

प्रगति रिपोर्ट

संभाग का नाम:– ....

क्र.सं.	औ.प्र.संस्थान का नाम	प्रदर्शनी अवलोकन हेतु आंमत्रित स्कूलों की संख्या	प्रदर्शनी अवलोकन हेतु उपस्थित स्कूलों की संख्या	स्कूलों के लाभान्वित छात्रों की कुल संख्या	युवा सप्ताह के दौरान कराई वर्क्स कॉन्फ्रेंस की संख्या एवं आमंत्रित उद्यमी /एचीवर का नाम व पता	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
योग:–						

हस्ताक्षर उप निदेशक,प्रशिक्षण
क्षैत्रीय कार्यालय,...................